108/2025

राहुल बगड़ / कैलाश देवी व अन्य
धारा-68, 89, 53, 188 RTA

15/4/26

वकील वादीगण एवं स्वयं वादी सं० 1-93 द्वारा उनके शीघ्र सुनवाई प्रा० पत्र एवं प्रकरण विड्रो प्रा० पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली तलब करने पर आज हमारे समक्ष पेश हुई। वकील वादीगण/वादीगण ने प्रार्थना-पत्र तथ्यों के मोहरात हुये कथन किया कि पक्षकारान आपसी चक आईश से राजीनामा हो गया है एवं प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। प्रकरण को आगे नहीं चलाने के कारण विड्रो किया जाना स्वहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वाद को जरिये विड्रोल सहित डिक्रीत/निरस्त किये जाने के आदेश स्वहित में प्रदान करावें।

हमने प्रार्थना-पत्र तथ्यों पर कथन किया। रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि पक्षकारान के कथन आपसी चक आईश से राजीनामा हो चुका है। प्रस्तुत वाद में अब किसी अनुतोष की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रार्थना-पत्र स्वहित में स्वीकार किया जाकर वाद इसी स्तर पर खारिज किये जाने से विड्रो किये जाने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना-पत्र के मुताबिक तौर पत्रावली फायल शुमार होकर नंबर रकबे कम हो एवं संग्रह अलग हो।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

राहुल
कि०(०)
Filed by me
Sanjiv Mishra